

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैती काउन्सिल ऑफ इंजियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधीनस्थ नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य नये एवं विचार फरसों हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक क्र. सट-3 में डिप्लोमा इन कार्मैती पाठ्यक्रम संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श एवं निष्पत्तु निर्णय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मैती पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. संख्या क्र. सं. सं. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	बॉय	बी०एच०एच० कॉलेज ऑफ कार्मैती इंजियरिंग लखनऊ	डिप्लोमा इन कार्मैती	10	10

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ साक्षात् पी०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ उक्त प्रकरण प्रेषण प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनामा की तारीख 2016 तथा लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनामा की तारीख 2016 तथा लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनामा की तारीख 2016 के अनुसार करना होगा। शुल्क निश्चित रूप से 10000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के कार्मैती पाठ्यक्रम हेतु 20000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के कार्मैती पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, हेतु 10000/- प्रतिवर्ष।

(Handwritten Signature)

**कार्यालय,
संघित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2021/2537

संलग्नक: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय द्वारा:

उचित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली चारों ओर काठमांडू और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा संघीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु संघीय नई संस्थाओं को सम्बद्धता: पूर्ण से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4077-NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY EDUCATION, VILL REHATI, POST-TRILOKHAN, TEHSIL, KERAKAT, JAUNPUR-222136

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/ई/ई/सी/टी/आई/ई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 20-आई/सी/टी/ई/ई/सी/टी/आई/ई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों चारों ओर पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों चारों ओर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जायेगा। उत्तरांचल के प्राविधिक उपा/संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर साक्ष्य प्राप्त किया किये जाने वाले छात्र/छात्रिका प्रभावी होंगे, और अनुमोदन कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्विचार किया जाता है, जो पीस को नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 10000 प्राविधिक शिक्षा समितीय तथा उप समितीय संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाना, विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परीक्षक द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीले संरचित यह छात्रों को स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सामग्री/सहाय्य के अनुसार निर्दिष्ट एवं समझूटा दस्तावेज संभाल करवा लेना।
- ✓ संस्था को 09/09/2022, 10/09/2022, 11/09/2022 को आगामी एक हफ्ते अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये निर्देशानुसार अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों एवं निर्देशिका प्रकाशित किया जाएगा, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ दिशांगक इन कार्यवाही पर्यवेक्षण की संस्थाएं प्रति पी सी आई गुरु दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षरगत रहनी है ही इस संस्था में समुदाय उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक कार्य में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, मातृका प्रवेश परीक्षा परीषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात उत्तर दिया जाता है तथा उत्तर प्राप्त के संबंध में मा-स्वास्थ्य प्राप्त किया प्रकाश की प्रतिभूति संस्था आदेश निवेश किया जाता है ही समस्त प्रतिभूति प्रेषित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिशांगक इन कार्यवाही पर्यवेक्षण में शामिल करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित कार्य के लिए अपेक्षित प्रवेश प्रेषित हेतु कार्यवाहीगत प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईआर में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अर्थात् उनमें प्रवेश की। (कार्यालय के माध्यम से उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की गैरलाभिक स्वी भूमि स्थल, मातृ-संस्था, उपकरण, अर्थ किया जाने वाला सुलभ, मातृका सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण परिषद हेतु उपलब्ध कार्यालय उपलब्ध कराने के साथ शैली रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित है कि संस्था में प्रस्तावित संघर्षित पर्यवेक्षण की संस्थाएं प्राप्त हेतु निर्देशिका समिति के समस्त उपलब्ध कार्यवाही गये अनिवार्य, भूमि-धन, पर्यावरण उपकरण अर्थात् का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य गैरलाभिक के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था (उत्तराखण्ड का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है) ही समस्त संस्था की संबंधित सामग्री किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वयंसेवक नियमित रूप से भूमि धन, पर्यावरण उपकरण एवं अन्य मातृ-संस्था 09/09/2022, 10/09/2022, 11/09/2022 परिषद के मातृका सुलभ उपलब्ध नहीं प्रेषित जाता है तो संस्था की संबंधित कार्यवाही कर ही जाएगी।
- ✓ समझूटा दाता का अनुमोदन = किया जाने अर्थात् दाता का दस्तावेज किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

स्वयंसेवक

पुस्तक- प्राथमिक शिक्षा पर्यवेक्षण 2022/2023-2024

दिनांक- 08/09/2022

संस्था

संस्था का पता: NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY EDUCATION, VILL. REHATI POST, TRILOKHAN, TEHSIL-KERAKAT, JALNPIUR-222136

कार्यालय

संघिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

वृत्त प्रदेय (सम्बद्ध)

संख्या- प्राशिय/परिषद संशोध-सम्बद्धता/2022/10770

संख्यक- दिनांक: 13/12/2022

कार्यालय सच-

संघिय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय द्वारा शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा संघिय संघ 2022-23 हेतु डिप्लोमा करीब तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघिय प्रदेय से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा संघ 2022-23 हेतु भारतीय नई संस्थाओं को सम्बद्धता हेतु संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार कार्यक्रम, प्रवेश क्षमता सूची, संघिय कार्य मापों पर विचार सत्रों हुए। संघ 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा संघ मापों के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता पर सलाह पत्र जारी किया गया। अनुमोदन प्रदेय संगठन के अनुसार प्रेषित कर दिए गए।

पीसीआईओ सच सचिब संख्य 14442/2022/PCIE/Approval Process 2023-2024/14705-06 दिनांक 03 मार्च 2022 में दिए गए निर्देशों क्रम में प्रस्ताव संस्थाओं से पूर्व में दृष्टित करिषद के विशालय के नियंत्रण प्रशासक/आईओएफो पर भण्डांतर करवा दिए निर्धारित प्रक्रिया पर लागू पर दखिल करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसरण में इन निर्देशों के अन्तर्गत कार्य पर ध्यान देकर सफल तरीके प्रवेश क्षमता को सम्बद्धता। इस कार्य के साथ प्रदान की जाती है कि प्रवेश में संस्था के निर्धारण के समय एसओ/आईओएफो का सम्बन्धित करना होगा।

संस्थ का कोड एवं नाम: 4077-NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY EDUCATION

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा संघ 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संघ 2022-23 हेतु प्रदान की जायेगी प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	90

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संघ 2022-23 हेतु पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संघिय प्रदेय प्राविधिक शिक्षा परिषद एक 19662 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमसंग्रही 1992/विनियमावली 2006, संसूचक विनियम/वली-2015 तथा संघिय-संग्रह पर निर्भर शालादेशों का अनुसरण करनी तथा शुरु निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुरु तीन वर्षीय इलीड कार्यक्रमों हेतु संघ 30/10/2022/ परिषद को राष्ट्रीय फार्मासी पाठ्यक्रम हेतु संघ- 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक 258 दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मासी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु संघ-22000.00/- प्रतिवर्ष शुरु ही प्रत्येक संस्थाओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शालादेशों से शुरु के संस्थों में संस्थ-संग्रह पर सफल द्वारा निर्भर किया जाने वाले शालादेश प्रभावी होंगे, और अनुसरण कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परिस निर्धारण समिति द्वारा संघ संघ 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जात है, जो नीचे की तनीतम पर लागू होगी।
- ✓ संघ में सचिव प्रवेश प्रीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संघ को शालादेश पर निर्भर शालादेश के अनुसार निर्देशों एवं सम्बद्धता शुरु प्रशासक होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एवं विनियमित/अविनियमित/नियमित/निरीक्षित एवं निरीक्षण, प्रामाणिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने का लक्ष्य बंधनकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का 10-आर्टिकल/10-टी/10-पी/10-बी/10-सी से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्थान में संस्थाध्यक्ष/प्रमुख संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रदान के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा इसके बाद के समय में मा. संस्थाध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की ज़म्मेदारी होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए अनुमोदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्य-सूची प्राप्त होने के पूर्व 10-आर्टिकल/10-टी/10-पी/10-बी/10-सी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को वापस करना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की कार्य-सूची में माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अभाव पर उक्त प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समाप्त-समय पर निर्गत न्यूनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बंधनकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं वेब पोर्टल की एंटी लिंक पर उपलब्ध कराने, सफल, सफल-सफल, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, सख्त/सख्त सुलभ आदि को विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को डिजिटल-प्रतिबंध हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शीघ्र सोफ्टवेयर के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रत्येक-संबन्धित पाठ्यक्रम का निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराए गए अभिलेख, भूवि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि कौन-कौन-किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की समझौता समझौता किया जान की कार्य-सूची पर जाएगी।
- ✓ संस्था के अतिरिक्त स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूवि, भवन, उपकरण/सफल, उपकरण एवं अन्य सफल सूचना 10-आर्टिकल/10-टी/10-पी/10-बी/10-सी से अनुमोदन के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को समझौता समझौता कर दी जाएगी।
- ✓ समझौता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अज्ञात-शर्तों का उल्लंघन डि-ए-एन की रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुसंधानात्मक कार्यकारी की जाएगी।

[Signature]

(एफए-आरए सीआर)

सचिव

15/12/2022

पुस्तक: एडमिशन/10-23 संशोधन संख्या/2022/13/1/1-11058

पतिलिपि:

स्थानाध्यक्ष/निदेशक, NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY EDUCATION

[Signature]

(एफए-आरए सीआर)

सचिव